



### कार्यालय-झाप

उपमहाप्रबन्धक, जागरण प्रकाशन इकाई, 7, पी०डी० टण्डन रोड, इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांक 7-02-2017 के अन्तर्गत 'जागरण इंगेज' द्वारा से विधानसभा क्षेत्र-249-पट्टी क्षेत्रान्तर्गत निम्न स्थलों पर होर्डिंग्स/वाल रैप्स के माध्यम से 400000 के प्रचार की अनुमति विषयक अनुरोध किया गया है।

क्र०	नाम	स्थल
1	अजय बद्रा	बधवा बाजार लोहिदा रोड गांव
2	अरविन्द जायरावाल	रेडीगारापुर रोड
3	शिवाजी जी	मेनरोड पट्टी, प्रतापगढ़
4	सुरेश प्रिन्टर्स	पटेल नगर चौराहा ढकवा राड
5	राजाराम	चंदा पट्टी, सीफायद

उक्त पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त गा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपर्युक्त स्थलों पर 'जागरण इंगेज' द्वारा होर्डिंग्स/वाल रैप्स के माध्यम से 400000 के प्रचार की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. लगाई जाने वाली होर्डिंग्स/वाल रैप्स किसी भी धार्मिक भवन व स्थल यथा- मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों पर नहीं लगाई जायेगी।
2. उक्त होर्डिंग्स/वाल रैप्स किसी भी मतदेय स्थल/मतदान केन्द्र के 200मी० की परिधि में कदापि नहीं लगाई जायेगी।
3. यदि किसी भवन व भूमि पर होर्डिंग्स/वाल रैप्स लगाई गयी है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर संबंधित भवन/भू-स्वामी की अनुमति तत्काल प्रस्तुत की जायेगी।
4. चयनित स्थलों से भिन्न स्थल का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
5. होर्डिंग्स/वाल रैप्स लगाये जाने पर किसी भी दशा में सार्वजनिक मार्ग/आवागमन किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जायेगा।
6. होर्डिंग्स/वाल रैप्स लगाये जाने वाले स्थलों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय उपबन्धों यथा-नगर पालिका, नगर पंचायत व जिला पंचायत व ग्रामसभा के नियमों/बॉयलाज का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।
7. होर्डिंग्स/वाल रैप्स लगाये जाने के परिप्रेक्ष्य में गा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
8. उक्त अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और शर्तों का उल्लंघन की दशा में दी गयी अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अधीन उक्त स्थलों पर होर्डिंग्स/वाल रैप्स लगाये जाने की अनुमति दी जाती है। होर्डिंग्स/वाल रैप्स लगाये जाने पर किसी प्रकार की असहज स्थिति उत्पन्न होने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 'जागरण इंगेज' का होगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

M.C. RUSHI  
8.2.2017

कार्यालय रिटर्निंग आफिसर, 249-पट्टी, प्रतापगढ़।

संख्या: 129 / एस०टी०-निर्वा०- 2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रतापगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी/ उपजिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. अपर जिलाधिकारी{(वि/रा)/(भू-रा)} / अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी/प०), प्रतापगढ़।
5. प्रभारी अधिकारी, एमसीसी, प्रतापगढ़ / सहायक निर्वाचन अधिकारी
6. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ / अन्य समस्त संबंधित को।
7. डी०आई०ओ०, एन०आई०सी० को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8. उपमहाप्रबन्धक, जागरण प्रकाशन इकाई, 7, पी०डी० टण्डन रोड, इलाहाबाद।

रिटर्निंग आफिसर,  
249-पट्टी

दिनांक: 08 फरवरी, 2017

रिटर्निंग आफिसर,  
249-पट्टी